

तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक P.B.No. 2055/2024-25

दिनांक-02.08.2024

कार्यालय आदेश

समस्त प्राध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अवकाश प्रार्थना पत्र देकर ही अवकाश का उपभोग करें।

विश्वविद्यालयी कार्य में कार्य करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।


सुलभता से वेतन भुगतान के दृष्टिगत प्रत्येक माह की बीसवे दिन से एक माह की गणना करते हुए अवकाश/कार्य दिवस आगणित किए जाएंगे।

महाविद्यालय में उपस्थिति का एक मात्र प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक मशीन पर प्रातः एवं सायं नियत समय पर उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

विशेष परिस्थिति में माह में अधिकतम दो बार ही लिखित सूचना कार्यालय को अवगत करा करके ही परिसर छोड़ना सुनिश्चित करें।

परीक्षा कार्य में अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित करें। परीक्षा ड्यूटी न करने एवं परीक्षा कार्य में शिथिलता करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी।


उपर्युक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


प्रो०(डॉ०) आलोक कुमार सिंह
प्राचार्य

02/08/24

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिति-

1. जिलाधिकारी, जौनपुर।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. मा० प्रबन्धक जी तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर।
4. परीक्षा प्रभारी/मुख्य अनुशास्ता।
5. समस्त विभाग प्रभारी (कला संकाय, विज्ञान संकाय, कृषि संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय)।
6. कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार/वेतन लिपिक/कार्या० सहायक/कौशल सिंह/विक्रम सिंह/रतन मौर्या को इस आशय से प्रेषित कि अवकाश/कार्य दिवस यथोचित साक्ष्य के आधार पर ही वेतन भुगतान सम्बन्धी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।


प्राचार्य 02/08/24